ग्राम पंचायत काथला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत काथला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति चंचला देवी	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति ज्योति देवी	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत काथला के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	5	पंचायत राजस्व की वसूली शेष पाया जाना	0.05
2.	9	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टोर/स्टॉक की खरीद	8.89
3.	12	प्रधान द्वारा सत्यापित किए बिना भुगतान	0.25

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत काथला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 11.7.2016 से 15.7.2016 तक पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 10/13, 8/14 व 12/15 व 6/13, 1/15, 12/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत काथला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : शून्य, दिनांक 15.7.2016 द्वारा सचिव पंचायत काथला से अनुरोध किया गया। तदानुसार ग्राम पंचायत काथला के पत्रांक संख्या : 159, दिनांक 3.8.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत काथला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत काथला के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	46881	496640	543521	407112	136409
2014—15	136409	263131	399540	373671	25869
2015—16	25869	618489	644358	605973	38385

(2) अनुदान :—

ग्राम पंचायत काथला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	31587	1064078	1095665	1012798	82867
2014—15	82867	1033784	1116651	916577	200074
2015—16	200074	712614	912688	644171	268517

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का अन्तशेष : ₹306902

<u>दिनांक 31.3.2016 को बैंक खातों में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:—</u>

क्र0 सं0	हि0प्र0 धुलारा स्थित राज्य सहकारी बैंक (बैंक का खाता सं0)	निधि का नाम	राशि (₹)
1.	18310102722	वी0आर0जी0एफ0	47925
2.	18310104387	लाडा	65411
3.	18310104388	आर0ए0 वार्ड RAY	448
4.	18310104390	एन0वी0ए0 NBA	154357
5.	18310101833	मनरेगा	शून्य
6.	18310101686	सामान्य	38044
7.	18310104386	आई0ए0 वार्ड IAY	376
		जोड़	**₹306561**

<u>अन्तशेष का विवरण :—</u>

(क)	दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹306902
(ख)	दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि	₹306561
(ग)	दिनांक 31.3.2016 को हस्तगत राशि	₹341
	कुल अन्तशेष (ख+ग)	**₹306902**

5. पंचायत राजस्व ₹0.05 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹4548 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	2520	5520	8040	4680	3360
2014–15	3360	5520	8880	2430	6450
2015–16	6450	5520	11970	9120	2850

2. भू–राजस्व :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	566	1132	1698	–	1698
2014–15	1698	1132	2830	1132	1698
2015–16	1698	1132	2830	1132	1698

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी व पंचायत राजस्व के लेखांकन हेतु मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 खाता (ख) में अर्जित ₹0.24 लाख के ब्याज की राशि को खाता (क) में हस्तांतरित न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता (ख) में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत के खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है व अनुदानों पर निम्नविवरणानुसार अर्जित ब्याज ₹23667 को स्वः संसाधनों के खाता (क) में हस्तांतरित नहीं किया गया। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता (क) स्वयं संसाधनों में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	निधि का नाम	2013–14	2014–15	2015–16	योग
1.	BRGR	2895	2293	1866	7054
2.	MGNREGA	1450	228	–	1678
3.	RAY	–	235	213	448
4.	NBA	–	2124	6433	8557
5.	LADA	–	–	5554	5554
6.	IAY	–	228	148	376
	योग	**₹4345**	**₹5108**	**₹14214**	**₹23667**

5.2 रोकड़ वही को नियमानुसार तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 4(1) के नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए खाता (क) के रूप में खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में संहिता संख्याः 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और ऋण मानी जाएगी। ऐसी आय के लिए

खाता (ख) खोला जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पचायत की अपनी आय के स्त्रोत व अनुदानों के लिए एक ही खाता व रोकड़ वही वर्ष 2013–14 में तैयार की गई है, जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. अनुदान ₹2.69 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹268517 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. अस्थाई अग्रिमों ₹0.84 लाख का समायोजन न करना :–

व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि0प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरन्त बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन परिशिष्ट–2 में दिए गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्रवाई न करने के कारण दिनांक 31.3.2016 तक ₹84000 के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थी। इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

8. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹15.49 लाख का अनियमित व्यय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'3'** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1548910 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹8.89 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'4'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹889076 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

(क) हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30

3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95(1)
4.	मासिक समाधान विवरणी	—	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	डाक रजिस्टर	24	61(2)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

11. अधिक भुगतान ₹1080 के बारे :–

वाउचर संख्या : 12, दिनांक 19.7.2013 BRGE द्वारा मैसर्ज अजय गुडज कैरियर काथला को ₹10440 का भुगतान उनके द्वारा सप्लाई किए गए रेत व बजरी की आपूर्ति हेतु किया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया कि वास्तविक सामग्री आपूर्ति हेतु सप्लाई किए गए मटिरियल कुल भुगतान ₹7000 निम्न विवरणानुसार बनता था।

बजरी 180 Cft @ ₹36	₹6480
रेत 180 Cft @ ₹36	₹2880
कुल	**=₹9360**

अतः ₹1080 (₹10440 – ₹9360) के अधिक भुगतान के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1080 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

12. प्रस्ताव के बिना भुगतान बारे :–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि वी0आरजी0एफ0 के निम्न विवरणानुसार जो खर्चे के वाउचर फाईल में संलग्न हैं, उन पर प्रधान के हस्ताक्षर/स्वीकृति नहीं है, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व प्रस्ताव के बिना किए गए थे। अतः किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में व्यय ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पारित कर किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1.	2 व 3, 16.4.2014	बजरी व रेत के बिल	5160
2.	4/16.4.2014	पानी की 500 लीटर की टैंकी व अन्य सामान	7800
3.	5/16.4.2014	मस्ट्रोल का भुगतान	7930
4.	6/21.5.2014	मस्ट्रोल का भुगतान	4101
		योग	**₹24991**

13. अभिलेख अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने बारे :–

रोकड़ वही पृष्ठ 56 (वाउचर संख्याः 7, दिनांक 27.11.2014) द्वारा ₹5000 व्यय दर्शाया गया है, जिससे सम्बन्धित वाउचर व सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं किए गए। अपेक्षित अभिलेख के अभाव व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना वाउचर के व्यय दर्शाना अनियमित था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

14. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16. निष्कर्ष :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच0(पंच)15(vii)5/2016, खण्ड–1–6073–6076 दिनांकः 16.11.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत काथला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "2"

ग्राम पंचायत काथला विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा पैरा संख्या : 7 में सन्दर्भित

अस्थाई अग्रिमों ₹.84 लाख का समायोजन न करना

क्र0 सं0	दिनांक	विवरण	प्राप्ति/व्यय	शेष हस्तगत राशि
1.	5.4.2012	वी0आर0जी0एफ0	मनरेगा	64000
2.	21.9.2013	सामान्य निधि	मनरेगा	20000
			जोड़	**₹84000**

परिशिष्ट "3"

ग्राम पंचायत काथला विकास खण्ड भटियात, जिला चंबा पैरा संख्या : 8 में दर्शित

निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना अनियमित व्यय करना

क्र0 सं0	निधि	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1.	मनरेगा	भू–सुधार नाहना	233362
		क्रेट कार्य न्यूतोड	149495
		भू–सुधार कार्य निचला काथला	145823
		क्रेट कार्य रतिमति ठेहढा	250000
		भू–सुधार कार्य चेली कुफरू	250000
		चैक डैम हठ पथ	97247
		चैक डैम गरनियाडा	120000
2.	(वी0आर0जी0एफ0)	जी0पी0एस नहाना में कमरे का निर्माण	202983
		पक्का रास्ता व नाली नागनी मन्दिर से कुफर	100000
			₹1548910

परिशिष्ट "4"

ग्राम पंचायत काथला विकास खण्ड भटियात, जिला चंबा पैरा संख्या : 9 में संदर्भित

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

निधि का नाम :– B.R.G.F

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1.	10, 6.6.2013	मैसर्ज अजय गुडज कैरियरज द्वारा रेत–बजरी की सप्लाई का भुगतान	11880
2.	11, 6.6.2013	मैसर्ज अजय गुडज कैरियरजद्वारा ईन्टों की सप्लाई का भुगतान	11500
3.	12, 19.7.2013	मैसर्ज अयज गुडज कैरियरज द्वारा रेत व बजरी की सप्लाई का भुगतान	10440
सामान्य निधि			
1.	24, 25.8.2014	मैसर्ज सूर्य शक्ति इनर्जी सिरातम दाडी के बिल संख्याः	95585

		221, दिनांक 7.8.2014 के अन्तर्गत खरीदी पांच लाईटें	
2.	32, 10.7.2015	मैसर्ज गर्ग इण्टरप्राईजिज गगल से बिल संख्याः 0280, दिनांक 3.7.2015 में वर्णित खरीदी गई पांच सोलर लाईटों का भुगतान	123000
3.	66, 4.12.2015	मैसर्ज गर्ग इण्टरप्राईजिज गगल से बिल संख्याः 18, दिनांक शून्य के अन्तर्गत खरीदी गई 14 Led Lights & Accessories का भुगतान	350000
4.	67, 4.12.2015	मैसर्ज गर्ग इण्टरप्राईजिज गगल से बिल नंबरः 19, दिनांक शून्य के अन्तर्गत खरीदे गए कूडादान (Dustbin संख्याः8)	160000

निधि का नाम :– मनरेगा

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1.	23, 6.6.2013	श्री करतार चन्द को पत्थर के फाडे का भुगतान	11520
2.	24, 6.6.2013	–यथोपरि–	11940
3.	25, 6.6.2013	श्री सिंगडा राम को पत्थर फाडे का भुगतान	9160
4.	26, 6.6.2013	–यथोपरि–	10008
5.	27, 6.6.2013	श्री जैहरी राम की पत्थर फाडे का भुगतान	12834
6.	28, 6.6.2013	–यथोपरि–	11832
7.	29, 6.6.2013	श्री उत्तम चन्द को पत्थर फाडे का भुगतान	7942
8.	30, 6.6.2013	पत्थर फाडा करतार चन्द को भुगतान	8460
9.	31, 6.6.2013	श्री छोटा राम को बजरी व रेत का भुगतान	11900
10.	32, 6.6.2013	–यथोपरि–	10675
11.	33 से 35, 6.6.2013	श्री वकील सिंह को पत्थर फाडे का भुगतान	20400
		जोड़	**₹889076**